केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं.137/टीएल/2022 दिनांक: 10.10.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

आवेदक आरटीएम प्रणाली (इसके बाद 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से (i) बीकानेर–।। पीएस स्कीम पर आरई जेनेरेटर और 400/220 केवी आईसीटी के लिए 220 केवी बे के कार्यान्वयन, (ii) एसजेवीएन लि. की 1000 मेगावाट सौर परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–।। पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 1 नंबर के कार्यान्वयन और (iii) 1000 मेगावाट सौर परियोजनाओं (एसीएमई सोलर होल्डिंग्स प्रा. लि., प्रेरक ग्रीनटेक प्रा. लि.) के अंतरसंयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–।। पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 2 नंबर के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीबीटीएसएल), बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अधीन आवेदन किया गया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.11.2021, 26.4.2022 और 25.8.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापनों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को निश्चित करने के साथ आरटीएम मोड पर विषय पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया और इसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भी व्याख्यायित किया।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 20.9.2022 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथोल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन हेतु पीबीटीएसएल को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 137/टीएल/2022 में दिनांक 7.10.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित विनियमित टैरिफ तंत्र पर पारेषण योजना हेतु याचिकाकर्ता को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
5. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 31.10.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा सम्यक अनुक्रम में आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव